

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/ 4862-4896 दिनांक:- 26/7/2014

आदेश संख्या - 54/2014-15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बैंड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
01-	अब्दुल सलाम गोरी	439/88	16.04.1990	16.04.2010	परिनिष्ठा के दो दण्ड होने से द्वितीय एसीपी दो वर्ष देरी से स्वीकृत
02-	रमेश चन्द	366/90	31.07.1993	31.07.2011	
03-	संजय पालीवाल	R-11/92	19.06.1995	19.06.2014	प्रथम चार वर्ष देरी से
04-	चान्द मल सुथार	R-108/92	01.07.1995	01.07.2013	
05-	शंकर लाल जाट	11/94	19.02.1996	19.02.2014	
06-	महेश चन्द	111/94	19.02.1996	19.02.2014	
07-	सुमत प्रसाद जैन	127/94	20.02.1996	20.02.2014	
08-	कैलाश पगारिया	157/94	22.04.1996	22.04.2014	
09-	बलदेव राम थलिया	191/94	09.04.1996	09.04.2014	
10-	नेमीचन्द	208/94	25.04.1996	25.04.2014	
11-	राजेन्द्र खत्री	385/94	25.03.1996	25.03.2014	
12-	रामेश्वर लाल सैन	408/94	23.02.1996	23.02.2014	
13-	राजू सोनी	464/94	20.04.1996	20.04.2014	
14-	दिलीप कुमार पालीवाल	492/94	10.04.1996	10.04.2014	
15-	आनन्दी लाल कुमावत	377/94	04.04.1996	04.04.2014	
16-	मदन लाल	594/94	22.06.1996	22.06.2014	
17-	इन्द्रा शर्मा	DGS	08.05.1996	08.05.2014	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

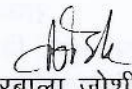
क्रम संख्या 03, 04, 09, 12, 14, 15 एवं 18 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला

acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)

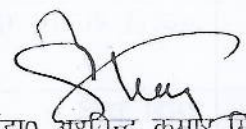
जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है, एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय / फौजदारी जाच लम्बित नहीं है एवं गत वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की गई हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/4812-4896 दिनांक 28/7/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
4. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।


(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)